


126

न्यायालय में, श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल कैम्प कोर्ट
रीवा म०प्र०



Rs. 2000

पंजी क.
क. 152
30-6-16
अलद 30/6/16

1. जगदीश सिंह पिता स्व० सौखीलाल
2. रामकली सिंह पिता स्व० सौखीलाल
- सुमन सिंह माता स्व० पार्वती के पिता स्व० सौखीलाल

निगा - 2398 - II-16

सभी निवासी ग्राम बतौडी तहसील जैसिंहनगर
जिला शहडोल म०प्र०

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. ईश्वरी प्रसाद पिता कृष्णदत्त ब्रा० निवासी ग्राम
बतौडी तह० जैसिंहनगर जिला शहडोल म०प्र०
2. राम प्रताप पटेल पटवारी हल्का श्यामडरीह रिटायर्ड
हाल मुकाम ब्यौहारी थाना वं तहसील ब्यौहारी
जिला शहडोल म०प्र०

..... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय श्रीमान अपर जिलाधीश
महोदय के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/2006-07
आदेश दिनांक 9/5/07

प्रकरण निगरानी

मान्यवर,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

1. यह कि ग्राम बतौडी प०ह० गजवाही तहसील जैसिंहनगर के अन्तर्गत आराजी खसरा क्रमांक 417 रकवा 0.587 हे० के बंदोबस्ती भूमिस्वामी बृजबल्लभ किशोर वगैरह की भूमि स्वामित्व की थी उनके द्वारा निगरानीकर्ता के पिता सौखीलाल को उक्त भूमि के अंश भाग 0.282 हे० को 50-60 वर्ष पूर्व देकर उसका मकान बनवा दियो थे तब से वह सपरिवार रहकर जीवन यापन करता रहा निगरानीकर्ता द्वारा बास अधिकार दखलकार अधिनियम के तहत श्रीमान राजस्व मंडल कैम्प कोर्ट

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2398-दो/2016

जिला-शहडोल

जगदीश सिंह आदि विरुद्ध ईश्वरी प्रसाद व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 09-05-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को आयुक्त शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) 12/02/2019 सदस्य</p>